न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी०डी०एस०डीलर लाईसेन्स रद्द अपील वाद सं०–01/2018

शिव मंदिर स्वयं सहायता समूह
अध्यक्ष गीता देवी
बनाम
राज्य द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22.10.2021	**आदेश** यह अपील वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश संसूचित ज्ञापांक 657/आ0, दिनांक 09.07.2018 जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता शिव मंदिर स्वयं सहायता समूह, अध्यक्ष गीता देवी को निर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं०–03/2009 को रद्द किया गया है, के विरूद्ध Bihar/Jharkhand Tread Articles (License Unification Order) 1984 की धारा 28 के तहत दाखिल किया गया है। अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अनुसार मामला संक्षेप में यह है कि दिनाक 11.04.2018 को 88 लीटर किरासन तेल कालाबाजारी के आरोप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 13(मु0)/वि0, दिनांक 06.07.2018 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं०–03/2009 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश संसूचित ज्ञापांक 657/आ0, दिनांक 09.07.2018 के द्वारा रद्द कर दिया गया। यह अपील इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा अपील आवेदन को ही लिखित बहस के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि – 1. अपीलार्थी शिव मंदिर स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हैं। उक्त स्वयं सहायता समूह को जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं०–03/2009 निर्गत किया गया था। 2. अपीलार्थी को प्रत्येक माह किरासन तेल का 810 लीटर आवंटन कार्डधारियों को वितरण हेतु प्राप्त था। उनके द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ EPOS मशीन के माध्यम से किरासन तेल का वितरण किया जाता था। जो फिंगरप्रिंट एवं राशन कार्ड	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

सं0 की प्रविष्टि के जरिए कार्य करता है।

3. दिनांक 11.04.2018 को एक झंटू मंडल के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के घर सह दुकान से जबरदस्ती बलपूर्वक किरासन तेल से भरा जार उठा लिया गया एवं शिव मंदिर में रख कर यह अफवाह फैलाया गया कि उक्त किरासन तेल झूलन मंडल को कालाबाजारी में बेचा जा रहा था।

4. दिनाक 11.04.2018 को ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर के द्वारा ग्राम खिदिरपुर जाकर जांच किया गया। जांच पदाधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच प्रतिवेदन पत्रांक 258/वि0, दिनांक 11.04.2018 द्वारा समर्पित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि तीन जार किरासन तेल मोटर साईकिल से ले जाने के क्रम में झंटू मंडल, दयाल मंडल, पितांम्बर मंडल एवं जितेन मंडल द्वारा पकड़ा गया।

5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति सं0–03/2009 निलंबित कर अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपीलार्थी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया एवं अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिए बिना अनुज्ञप्ति सं0–03/2009 को रद्द कर दिया गया।

6. विक्रेता/अपीलार्थी के घर–सह–दुकान से जबरदस्ती किरासन तेल उठाकर किरासन तेल की कालाबाजारी का झूठा आरोप लगाया गया। जांच पदाधिकारी, द्वारा सही तरीके से जांच नहीं कर एकपक्षीय जांच प्रतिवेदन दिया गया। एकपक्षीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर बड़ी सजा दी गई।प्राकृतिक न्याय का अनुपालन विज्ञ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड द्वारा नहीं किया गया।

7. जिन्हें किरासन तेल के साथ पकड़ा गया उनके विरूद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। न तो जब्ती सूची बनाई गई न बयान दर्ज किया गया और न ही अधिहरण की कार्रवाई की गई।

उनके द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी पाकुड के ज्ञापांक 657/आ0, दिनांक 09.07.2018 को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा प्रेषित संचिका सहित सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया।

इस मामले में किसी औचित्यपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व निम्न बिन्दुओं

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

पर विवेचना किया जाना आवश्यक है –

(1) क्या कालाबाजारी प्रमाणित हुई है और जन वितरण प्रणाली विकेता कालाबाजारी में संलिप्त पाया गया है?

(2) कालाबाजारी के आधार पर विधिसम्मत प्रकिया का पालन किया गया है या नहीं, यथा पकड़े गए किरासन तेल एवं अन्य सामग्री/वाहन की जब्ती सूची तैयार किया गया अथवा नहीं? कालाबाजारी के आरोप में संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई अथवा नहीं? यदि जब्ती सूची एवं प्राथमिकी दर्ज की गई तो अधिहरण का प्रस्ताव दिया गया अथवा नहीं?

बिन्दु (1) के संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड द्वारा प्रेषित संचिका सं0– Collection no.- V, File no.-7/13 का अवलोकन किया गया। उक्त संचिका में संधारित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 258/वि0, दिनांक 11.04.2018 एवं पत्रांक 13(मु0)/वि0, दिनांक 06.07.2018 का अवलोकन किया गया। पत्रांक 258/वि0, दिनांक 11.04.2018 में प्रतिवेदित किया गया है कि– "ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि झूलन मंडल, पिता–निपेन मंडल, ग्राम खिदिरपुर, पंचायत–मुर्गाडांगा के द्वारा जन वितरण प्रणाली विकेता शिव मंदिर स्वयं सहायता समूह के घर के बाहर तीन जार किरासन तेल मोटर साईकिल सं0–JH18A7902 Hero CD Down, रंग–काला से ले जाने के कम में झटू कुमार मंडल, ... के द्वारा पकड़ा गया तथा गांव के शिव मंदिर में रख गया।" यहां यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि घर के बाहर कहां पकड़ा गया है।

पत्रांक 13(मु0)/वि0, दिनांक 06.07.2018 के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि– "ग्रामीणों ने बताया कि झटू मंडल, दयाल मंडल एवं अन्य लड़कों के द्वारा किरासन तेल के साथ झुलन मंडल को डीलर के घर पर ही पकड़ा न की रास्ते में पकड़ा गया है।" इस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि किरासन तेल रास्ते में अर्थात् घर से बाहर नहीं पकड़ा गया है अपितु घर से ही पकड़ा गया है।

उक्त दोनों जांच प्रतिवेदन परस्पर विरोधाभाषी है एवं उक्त प्रतिवेदनों से किरासन तेल के पकड़े जाने का वास्तविक स्थल स्पष्ट नहीं हो पाता है।

भंडारण स्थल के लिए अधिकृत परिसर (डीलर का दुकान/घर आदि) में रखे हुए किरासन तेल को कालाबाजारी किया जाना नहीं माना जा सकता है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है डीलर के भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदनों में डीलर के भंडार पंजी/वितरण पंजी के अनुसार भंडार में कितना किरासन तेल भौतिक रूप से जांच के क्रम में भंडार में अवशेष पाया गया यह उल्लेख नहीं किया गया है। यह जांच की आवश्यक प्रकिया है जिससे यह ज्ञात होता है कि भंडार में वस्तुतः कितना किरासन तेल भौतिक रूप से अवशेष था तथा पकड़ा गया किरासन तेल उसी भंडार का है अथवा नहीं।

13(मु0)/वि0, दिनांक 06.07.2018 के जाच प्रतिवेदन की कंडिका–2 में केवल उठाव एवं वितरण का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार माह जनवरी, 2018 में 810 लीटर का उठाव एवं 763 लीटर वितरण माह–फरवरी, 2018 में 810 लीटर उठाव एवं 810 लीटर वितरण तथा माह मार्च, 2018 में 810 लीटर उठाव एवं 763 लीटर वितरण प्रतिवेदित है। डीलर द्वारा किरासन तेल का वितरण प्रमाणित है। माह मार्च, 2018 में भी 763 लीटर किरासन तेल का वितरण किया गया था। जो अपीलार्थी द्वारा दाखिल ऑन लाईन प्रविष्ट ब्यौरे से मेल खाता है।

बिन्दु (2) के संदर्भ में संचिका में एक भी ऐसा कागजात संधारित नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि पकड़ा गया किरासन तेल एवं मोटर साईकिल की जब्ती सूची तैयार की गयी थी। केवल एक जिम्मानामा संबंधी कागजात है जिसमें किरासन तेल एवं मोटर साईकिल जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुभाष चन्द्र साहा को जिम्मानामा में दिया गया है। परन्तु उक्त जिम्मानामा किस पदाधिकारी के द्वारा दिया गया यह स्पष्ट नहीं है।

नियमतः पकड़े गए किरासन तेल/वाहन को विधिवत जब्त किया जाना चाहिए था।

संचिका में एक भी ऐसा कागजात नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कालाबाजारी के आरोप में संबंधित विक्रेता एवं झूलन मंडल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

स्पष्टतः न तो पकड़े गए किरासन तेल/वाहन की जब्ती सूची तैयार की गई और न ही संबंधित आरोपी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। किरासन तेल के साथ झूलन मंडल नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया था परन्तु उक्त झूलन मंडल के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई, इसका कही उल्लेख नहीं है। चूंकि किरासन तेल आवश्यक वस्तु

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

(Essential commodity) है। अतः Essential Commodities Act 1955 (Bihar State Amendment Act 9 of 1978) की धारा 6ए का भी अनुपालन किया जाना अपेक्षित था।

अभी तक वाहन या किरासन तेल के अधिहरण का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्त्तमान में जिम्मानामा में दिया गया किरासन तेल एवं वाहन यूं ही बिना किसी कार्रवाई के विगत लगभग तीन वर्षों से पड़ा हुआ है।

बिना जब्ती/अधिहरण की कार्यवाही के इस प्रकार किरासन तेल /वाहन को रखा जाना विधिसंगत नहीं है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कालाबाजारी के क्रम में पकड़े गए किरासन तेल का स्थल ही स्पष्ट नहीं है और न ही कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति झूलन मंडल के विरूद्ध किसी प्रकिया का पालन किया गया है, न ही पकड़े गये किरासन तेल या वाहन के विरूद्ध कोई वाद संस्थित किया गया है। जबकि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की कंडिका 30 के तहत भी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। विक्रेता के स्पष्टीकरण पर भी युक्तिसंगत विचार नहीं किया गया एवं रद्द करने संबंधी आदेश में भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस संदर्भ में Md. Abdus Salam Vrs Sub-Divisional Controller (AIR 1992 Cal. 339: 1993 BRLJ 56.Rep.) में दर्ज न्याय निर्णय निम्नवत् है –

" An order for cancellation of Dealership of an essential commodity, passed by the state Government in exercise of power under a control order must be a speaking one and should also indicate why the Dealer's reply to the show couse notice was considered unsatisfactory."

विक्रेता के भण्डार से जो किरासन तेल उठाया गया था उसकी मात्रा 80 लीटर प्रतिवेदित है। स्पष्टतः प्रतिवेदनानुसार माह जनवरी, 2018 का 47 लीटर एवं माह–मार्च, 2018 का 47 लीटर किरासन तेल भण्डार में अवशेष बचता है। डीलर द्वारा माह–जनवरी, 2018 का भी अवशेष तेल दिनांक 11.04.2018 तक अपने भण्डार में सुरक्षित रखा गया था।

इस मामले में कालाबाजारी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है और जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की प्रकिया में कई त्रुटियां दृष्टिगोचर है। शिव मंदिर स्वयं सहायता समूह महिलाओं का एक समूह है तथा सरकार द्वारा उन्हें

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	सबल बनाने के उद्धेश्य से जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के जिस पत्रांक 13(मु0)/वि0, दिनांक 06.07.2018 के आधार पर अनुज्ञप्ति रद्द की गई है उसी में यह भी स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि "खिदिरपुर गाव के लाभुकों द्वारा बताया गया कि डीलर द्वारा अनाज एवं किरासन तेल वितरण में कटौती नहीं की जाती है।" यह कही प्रतिवेदित नहीं है कि कार्डधारियों को उक्त विक्रेता से वितरण के संदर्भ में कोई शिकायत है। ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ शिव मंदिर स्वयं सहायता समूह के पक्ष में जाता है। उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा निर्गत आदेश संसूचित ज्ञापांक 657/आ0, दिनांक 09.07.2018 को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। संबंधित को आदेश से अवगत करा दें। लेखापित एवं संशोधित ह0/- 24/10/14 उ0 पा0 पु0 क्त0, पाकुड़। ह0/- 24/10/14 उ0 पा0 पु0 क्त0, पाकुड़।	43/DB, 09.04.22 से मुक्तांचिक वापस।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2022.10.12 14:50:35 +05:30
Location: 192.168.1.100